प्रकीर्ण वाद संख्या २३४/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. २४३/२०१८)
श्रीमती माया देवी आदि बनाम अशोक कुमार आदि
२१.१२.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती माया देवी, सोनू व मोनू द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा ₹ ७,१३,५०० का एवार्ड विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्ध पारित किया गया था, जो धनराशि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा मय ब्याज ₹ ८,१३,२२४ भुगतान हेतु जमा की जा चुकी है। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं है न ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि उक्त जमाशुदा धनराशि प्रार्थीगण के पक्ष में रिलीज करने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती माया देवी का शपथपत्र ४सी२, व अपने-अपने बैंक खाते व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. २४३/२०१८ श्रीमती माया देवी आदि बनाम अशोक कुमार आदि की पत्रावली, प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया श्रीमती माया देवी ने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया गया है कि उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील कोई अपील/स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। एम.ए.सी.पी. सं. २४३/२०१८ में पारित निर्णय दिनाँकित २६.१०.२०२० के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत प्रकरण में ₹ ७,१३,५०० मय ७.५ प्रतिशत ब्याज प्रार्थीगण/याचीगण को दिलाए जाने हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से प्रार्थीगण/याचीगण सं. १ लगायत ३ को क्रमशः ७०, १५ व १५ प्रतिशत भाग प्रतिकर धनराशि प्राप्त होनी है तथा उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि में से ७५-७५ प्रतिशत धनराशि की एन्युटी ५-५ वर्ष के लिए उनके नाम बनायी जानी है व शेष २५-२५ प्रतिशत भाग उन्हें आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्राप्त होनी है। कार्यालय आख्या के अनुसार बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार ₹ ८,१३,२२४ पी.एन.बी. शाखा झोकनबाग, झाँसी में UTR NO. AXISP 00158619431 से जमा होने का इन्द्राज है। टी.डी.एस. में ₹ २४९३१ जमा किया गया है। अतः मेरे विचार से प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा पारित एवार्ड के अनुसार विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ **८,१३,२२४** मय अब तक अर्जित ब्याज को प्रार्थीगण जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट उनके बैंक खाते में व जरिए वर्णित एन्युटी स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकन बाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. २४३/२०१८ (प्रकीर्ण वाद सं. २३४/२०२० श्रीमती माया देवी आदि बनाम अशोक कुमार आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Maya Devi	426943	52.5	Annuity of 5 years	___	Any Nationalized Bank	____
1. Smt. Maya Devi	142315	17.5	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010010650	Syndicate Bank Govind Chauraha Jhansi	SYNB0009235
2. Sonu	91487	11.25	Anuity of 5 years	___	Any Nationalized Bank	____
2. Sonu	30496	3.75	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010010703	Syndicate Bank Govind Chauraha Jhansi	SYNB0009235
3. Monu	91487	11.25	Anuity of 5 years	___	Any Nationalized Bank	____
3. Monu	30496	3.75	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010010718	Syndicate Bank Govind Chauraha Jhansi	SYNB0009235
Total	**813224**	100				

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.04 14:35:12 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी